NOTE FOR JUSTIFICATION FOR FOREST LAND

कार्य का नाम– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत चोपड़ा–हरिशंकर से पोखरी तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 8.00 कि0मी0।

यह मोटर मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 मोटर मार्ग के कि0मी0 17.00 के है0 मीटर (0–2) से प्रारम्भ होकर पोखरी तक 8.00 कि0मी0 की लम्बाई में कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिससे कि ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी वर्तमान में गांव की महिलाए पानी लकडी, चारा आदि लाने दूर जाती है मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दें पाऐंगी। गॉव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के ओर नए अवसर मिलेंगें। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल, सब्जी, अनाज, आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पायेंगे। साथ ही गाव विकास की ओर अग्रसर होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगें।

समरेखण–1 यह मोटर मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 मोटर मार्ग के कि0मी0 17.00 के है0 मीटर (0–2) से प्रारम्भ होकर पोखरी तक 8.00 कि0मी0 की लम्बाई में कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस समरेखण पर क्षेत्रिय जनता की सहमति हैं तथा भू–गर्भ वेता द्वारा भी समरेखण को मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है। इस समरेखण 9 हेयरपिन बैण्ड पड़तें हैं तथा वृक्षों की संख्या कम प्रभावित होती है।

समरेखण–2 यह मोटर मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 मोटर मार्ग के कि0मी0 17.00 के है0 मीटर (0–2) से प्रारम्भ होकर पोखरी तक 8.00 कि0मी0 की लम्बाई में कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस समरेखण से क्षेत्रिय जानता भी सहमत नहीं हैं एवं भू–गर्भ वेता द्वारा मार्ग निर्माण हेतु अनुपयुक्त पाया गया हैं। इस समरेखण में हेयरपिन बैण्ड की सं0 11 है तथा वृक्षों की संख्या अधिक प्रभावित होते हैं।

उपरोक्त दोनों समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नहीं हैं। अतः मार्ग निर्माण हेतु संमरेखण न0–1 उपर्युक्त हैं।

18/01/19

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
पोखरी (चमोली)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
पोखरी (चमोली)

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।